राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2018

अधिसूचना संख्या सं. रा.आ.बैंक.आ.वि.कं.निर्देश.21/एमडीएंडसीईओ/2018 - राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 (यहां के बाद मुख्य निर्देश के रूप में संदर्भित), तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, यथा-

1. अनुच्छेद 2 में संशोधन

खण्ड (घ) के बाद, मुख्य निर्देशों के अनुच्छेद 2 के उप-अनुच्छेद (1) में निम्नलिखित खण्ड को शामिल किया जाएगा-

" (घ क) "एक ही समूह में कंपनियों" का अर्थ है कि निम्नलिखित में से किसी भी संबंध के माध्यम से एक-दूसरे से संबंधित दो या दो से अधिक शामिल इकाईयां: (i) गौण- मूल, संयुक्त उद्यम, सहयोगी, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित एक संबंधित पक्ष, भारतीय लेखांकन मानक, (ii) प्रवर्तक – सूचीबद्ध कंपनियों के लिए पदोन्नत (जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर और अधिग्रहण का पर्याप्त अर्जन) विनियम, 2011) में प्रदान किया गया है), (iii) सामान्य ब्रांड का नाम, और (iv) 20% और उससे अधिक के इक्विटी शेयर में निवेश;"

2. अनुच्छेद 32 में संशोधन

(i) मुख्य निर्देशों के अनुच्छेद 32 के उप-अनुच्छेद (1) में, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा-

"बशर्ते कि, किसी अन्य कंपनी के शेयर में निवेश पर अधिकतम सीमा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा लिखित में, विशेष रूप से अनुमत मात्रा तक, बीमा कंपनी की इक्विटी पूंजी में निवेश के संबंध में लागू नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त यह दिया गया है कि उप-अनुच्छेद (1) में निहित प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगें -

(क) आवास वित्त कंपनी के निम्न के शेयरों में निवेश:
(i) इसकी सहायक कंपनियों में;
(ii) एक ही समूह की कंपनियों में,
जिस सीमा तक इन्हें निवल स्वाधिकृत निधि की गणना हेतु स्वाधिकृत निधि से कम कर दिया गया है और

(ख) डिबेंचर्स, बॉण्ड, बकाया ऋण और अग्रिम (किराया खरीद और पट्टा वित्त सहित) का बही मूल्य निम्न के लिए और उनके साथ जमा किया गया -

(i) एक आवास वित्त कंपनी की सहायक कंपनियां; और

(ii) एक ही समूह की कंपनियां,

जिस सीमा तक इन्हें निवल स्वाधिकृत निधि की गणना हेतु स्वाधिकृत निधि से कम कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त यह दिया गया है कि रियल एस्टेट निर्माण/खरीद और रियल एस्टेट गतिविधियों की बिक्री में शामिल समूह कंपनियों हेतु आवास वित्त कंपनी का एक्सपोजर उप-अनुच्छेद (1) में निहित क्रेडिट/निवेश पर लागू अधिकतम सीमा के अधीन होगा"।

(ii) मुख्य निर्देशों के अनुच्छेद 32 का उप-अनुच्छेद (2) विलोपित रहेगा।

(iii) नोट (5) के बाद, निम्नलिखित नोट को शामिल किया जाएगा -

"(6) स्वाधिकृत निधि का अर्थ इन निर्देशों के अनुच्छेद 2 के उप-अनुच्छेद (1) (फ) के तहत परिभाषित 'स्वाधिकृत निधि' और पिछले वर्ष 31 मार्च को प्रकाशित खातों के अनुसार उसकी स्थिति के संबंध में होगा।

(7) प्रकाशित तुलन-पत्र तिथि के बाद पूंजी निवेश को एक्सपोजर अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है लेकिन आवास वित्त कंपनी को भविष्य की तारीख में पूंजी निवेश के पूर्वानुमान में अधिकतम सीमा से अधिक एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। एक आवास वित्त कंपनी पूंजी का संवर्धन पूरा होने पर उपरोक्त उद्देश्य के लिए उक्त की गणना करने से पहले राष्ट्रीय आवास बैंक को सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी।

(8) तिमाही लाभ आदि के माध्यम से पूंजीगत निधियों के लिए अन्य अनुवृद्धि, एक्सपोजर की अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के उद्देश्य हेतु 'स्वाधिकृत निधि' की गणना करने के लिए माने जाने योग्य नहीं होगा"।

श्रीराम कल्याणरामन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी